

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

सी. डी. बायदु
(SDO) बायदु

पीराराम बनाम खनाराम वीर

किस्म मुकदमा..... रा. डी. बायदु 111, 128 RLR नं. 20/22 सन 2022


तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री रतन राम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।</p> <p>21/02/2022</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिमत/विप्रार्थी-जवाबों के नोटिस पूर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये प्रार्थी वकील द्वारा डिप्लोमा रसिद पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली विभा गया। विशेष/विधियों की मोह ले कोई उपरिमत नहीं हुआ इतजार होकर पत्रावली मिडिया दिनांक 14/03/2022 को पेश की।</p>	<p>सहायक कलक्टर (10) बायदु</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायदु</p>

तारीख हुक्म


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/03/2022

श्री श्री श्री उपाध्यक्ष। विद्यार्थी-
जज वाक्जुड सूचना अनुसंधान।
न्यायालय समग्र तीन बार मावाज
लगाई गई, मेलिम मावाज 5.45 PM
पर लगाई गई विद्यार्थी गण स्वयं या
उनकी माँ से कोई सहायता या
समिन्नावतु उपलब्ध नही हुआ लिखा
विद्यार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डाफवादी
अमल के लाई जाती है अतः पालने
बदल पत्रावली दिनांक- 23/03/2022
की प्रेष्य है।


सहायक कलक्टर
(SDO) वायन

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 139
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : - 23/03/2022
विप्रार्थीगण

1. पीराराम पुत्र मूलाराम,
जाति जाट, निवासी डुगरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. धनाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 40,
जाति जाट, निवासी डुगरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 20/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - उगरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 279/210 रकबा 4.7834 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद / 2022 / 140 - 144

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पीराराम पुत्र मूलाराम,
4. विप्रार्थी श्री धनाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 40,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 23/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कमीशनर
(SDO) बायतु